

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

## उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 498 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक:चौबटिया: जून 10 / 2024

### : आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017( संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तद्संबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु उद्यान विकास शाखा (अधीनस्थ सेवा वर्ग-1) के पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	श्री मोहन सिंह भैसोड़ा ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया मुख्यालय	औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, काशीपुर (उधमसिंहनगर)	श्री हरिराम आर्य, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
2	इन्दर लाल आर्या, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, ताडीखेत- अल्मोड़ा	अधीक्षक राजकीय उद्यान दूनागिरी (अल्मोड़ा)	श्री लक्ष्मण सिंह, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
3	श्री विदुर सिंह राणा, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	जिला उद्यान अधिकारी, चम्पावत	विकास खण्ड-पाटी चम्पावत	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
4	श्री संजय कुमार, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	संयुक्त निदेशक कार्या- पौड़ी	विकास खण्ड-थलीसैण पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
5	श्री खुशाल सिंह, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	मुख्य उद्यान अधिकारी, कार्यालय, उत्तरकाशी	विकास खण्ड-सहसपुर, देहरादून	श्रीमती निशा बिष्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)पाँच के अनुसार)
6	श्रीमती निशा बिष्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, विकासखण्ड, सहसपुर	विकास खण्ड-कालसी, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)ख (सात) के अनुसार)
7	श्री लक्ष्मण सिंह भण्डारी, ज्ये०उ०.नि०	अधीक्षक, रा०उ० दूनागिरी	संयुक्त निदेशक कार्यालय, भवाली, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)ख (पाँच) के अनुसार)
8	श्री हरी राम आर्या, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	औ०प्र० एवं प्रशि० केन्द्र, काशीपुर	संयुक्त निदेशक कार्यालय, भवाली, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)ख (पाँच) के अनुसार)
9	श्री भारत सिंह नेगी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान विशेषज्ञ कार्यालय, कोटद्वार	संयुक्त निदेशक कार्यालय, 31 म० पौड़ी	श्री संजय कुमार, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)ख (पाँच) के अनुसार)

10	श्री मोहन सिंह नेगी ज्ये0उ0निरीक्षक	विकास खण्ड, नैनीडाडा, प्रभारी, रा0आ0उ0पटेलिया	राजभवन, उद्यान नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)ख (पॉच) के अनुसार)
----	--	---	---------------------------	--

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।



निदेशक  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 498 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संबंधित कार्मिक।
2. अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया / दूनागिरी
3. उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार, पौड़ी
4. जिला / मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / चम्पावत / पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी।
5. उपनिदेशक, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, काशीपुर (उधमसिंहनगर)
6. संयुक्त निदेशक, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
7. उपकोषाधिकारी / कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत / पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / चम्पावत / पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी।
8. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाइल।



निदेशक  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

## उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 499 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

### : आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017( संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तद्संबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु उद्यान विकास शाखा (अधीनस्थ सेवा वर्ग-2) के पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	श्री कौरसिंह, स०वि०अ०	रा०उ० मगरा-टिहरी	संयुक्त निदेशक कार्यालय, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
2	श्री विशन लाल, स०वि०अ०	रा०उ० दूनागिरी (अल्मोड़ा)	अधीक्षक राजकीय उद्यान चौबटिया (अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा 17(1)पाँच एवं 17(1)छ के अनुसार)
3	श्री महेश चन्द्र आर्या, स०वि०अ०	रा०उ०पतलोट, नैनीताल	उ०स०द०के०भवाली, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
4	श्री सूरवीर सिंह स०वि०अ०	उ०स०द०के० चाकीसैण- पौड़ी	उ०स०द०के०श्रीनगर, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
5	श्री राम सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी	उ०स०द० के० विल्लेख, नैनीताल	मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
6	श्री आनन्द गिरी सहायक विकास अधिकारी	राजकीय उद्यान चौबटिया	उ०स०द०के०, चिलियानौला, अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
7	श्री तपेन्द्र सिंह सहायक विकास अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, पंतवाड़ी टिहरी	उ०स०द०के०चौबट्टा, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
8	श्री दिनेश पर्वार सहायक विकास अधिकारी	राजकीय उद्यान द्वारी	उ०स०द०के० कोटद्वार, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
9	श्रीमती ममता मेर, सहायक विकास अधिकारी	उ०स०द०के० रामगढ़(नैनीताल)	उ०स०द०के० रामनगर, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
10	श्री रघुवीर सिंह राणा, स०वि०अ०	उ०स०द०के०, गोपेश्वर- चमोली	उ०स०द०के०हापला, चमोली	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)

11	श्रीमती नीलम नेगी, स०वि०अ०,	रा०पौ०कुम्भीचौड	उ०स०द०के०चैलूसैण, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
12	श्री प्रमोद सिंह राणा, स०वि०अ०,	रा०पो० बागेश्वर	अधीक्षक, राजकीय उद्यान, दूनागिरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
13	श्री राहुल कुमार, स०वि०अ०,	उ०स०द०के०, जखोली रुद्रप्रयाग	राजकीय उद्यान द्वारी, उत्तरकाशी	श्री दिनेश कुमार, उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
14	श्रीमती बबली नेगी, स०वि०अ०,	मु०उ०अ०देहरादून	उ०स०द०के०त्यूनी, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
15	श्रीमती शालिनी बिष्ट, स०वि०अ०,	मु०उ०अ०देहरादून	उ०स०द०के०चौसाल, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
16	श्री मनोज सिंह पुण्डरीर, स०वि०अ०	उ०स०द०के०पोखरी, च मोली	उ०स०द०के०निजमुला, चमोली	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
17	श्रीमती निशा देवी, स०वि०अ०,	उ०स०उ०के०, झनकट, उधमसिहनगर	उ०स०द०के०सूखीढांग, चम्पावत	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
18	श्रीमती दिप्ती खाती स०वि०अ०	उद्यान सचल दल केन्द्र, चोरगलिया, नैनीताल	उ०स०द०के०पदमपुरी, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
19	कु०प्रियंका स०वि०अ०	मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल	उ०स०द०के०हरतोला, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
20	श्री संजीव कुमार, स०वि०अ०	उ०स०द०के० देवस्थल पिथौरागढ़	उ०स०द०के०खेत, पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
21	श्रीमती रश्मि जोशी, स०वि०अ०	मुख्य उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़	उ०स०द०के०चोरगलिया, नैनीताल	श्रीमती दिप्ती खाती, उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 के अनुसार)
22	श्रीमती कृष्णा विजलवाण, स०वि०अ०	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी सम्बद्ध देहरादून	राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 13 के अनुसार)
23	श्रीमती अंजना स०वि०अ०	उ०स०द०के०केन्द्र, राना, उत्तरकाशी	उ०स०द०के०मंसूरी, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा 13 व 17(1)ख चार के अनुसार)
24	श्री मंजीत सिंह स०वि०अ०, टिहरी	रा०आलू प्रक्षेत्र धनौली, टिहरी	उ०स०द०के०देवराजखाल, उ०वि०देहरादून, पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा 17(1)ख चार के अनुसार)
25	डा० बबीता भट्ट, स०वि०अ०	जिला उद्यान अधिकारी, चम्पावत	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़	श्रीमती रश्मि जोशी, उद्यान निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा 13 के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

  
निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 699 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया/दूनागिरी/राजकीय ड्रग फार्म सौनी।
3. उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार, पौड़ी
4. जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी/टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/देहरादून/अल्मोड़ा/चम्पावत/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/नैनीताल।
5. उपनिदेशक, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)
6. संयुक्त निदेशक, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
7. उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत/पौड़ी/टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/देहरादून/अल्मोड़ा/चम्पावत/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/नैनीताल।
8. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाइल।

  
निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

## उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 500 / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25


दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

### : आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017( संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु उद्यान विकास शाखा (अधीनस्थ सेवा वर्ग-3) के पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	श्री वीरेन्द्र सिंह पर्यवेक्षक	उ०स०द०के०केन्द्र, भेडिया, टिहरी	उ०स०द०के०, नन्दगाँव, टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
2	कुन्दन लाल पर्यवेक्षक	रा०पौ०सौनी, अल्मोड़ा	राजकीय उद्यान चौबटिया, रानीखेत	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
3	श्री शूरवीर सिंह राणा पर्यवेक्षक,	उ०स०द० केन्द्र, कामदा, उत्तरकाशी	औद्यानिक प्रक्षेत्र धनौली, टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10 एवं 12 के अनुसार)
4	श्री उत्तम कोहली पर्यवेक्षक,	रा०पौ० खाण्ड-टिहरी	उ०स०द०के०, रजाखेत, टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
5	श्री मोहन लाल पर्यवेक्षक	उ०स०द०के०भटेलिया, नैनीताल	उ०स०द०के०, कालाखेत, नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
6	सुरेश प्रसाद यादव पर्यवेक्षक	अपर निदेशक, कार्यालय, देहरादून	उ०स०द०के०, चकराता, देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
7	श्री रमेश चन्द्र सती पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, मासी, अल्मोड़ा	उ०स०द०के०, बिल्लेख, अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7 एवं 9 के अनुसार)
8	श्री प्रताप नाथ, उद्यान पर्यवेक्षक	राजकीय पौधालय बलुवाकोट, पिथौरागढ़	उ०स०द०के०, मूनाकोट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)(ख)(5) के अनुसार
9	श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, मासी, अल्मोड़ा	राजकीय ड्रग फार्म सौनी, अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष अधिनियम की धारा- 13 एवं 17(1)(ख)(सात) के अनुसार

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।



निदेशक  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 500 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संबंधित कार्मिक।
2. अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया / दूनागिरी
3. उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार, पौड़ी
4. जिला / मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / चम्पावत / पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी।
5. उपनिदेशक, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, काशीपुर (उधमसिंहनगर)
6. संयुक्त निदेशक, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
7. उपकोषाधिकारी / कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, रानीखेत / पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / चम्पावत / पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी।
8. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाइल।

निदेशक  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उत्तराखण्ड।